पत्र संख्या-आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशनसाफ्टवेयर(डीम्ड क0नि0)/(2012-13) / 390/1213041 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक ::जुलाई 24 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-27 में प्राविधानित डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों से विभिन्न निर्देश जारी किए गये हैं।

(i) **परिपत्र सं0-289/1212014 दिनांक 22-05-2012**
(ii) **परिपत्र सं0-233/1213020 दिनांक 07-06-2012**
(iii) **परिपत्र सं0-295/1213027 दिनांक 03-07-2012**
(iv) परिपत्र सं0-296/1213028 दिनांक 03-07-2012
(v) **परिपत्र सं0-297/1213029 दिनांक 03-07-2012**

इन परिपत्रों में से परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक 07-06-2012 एवं परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक 03-07-2012 में डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए गये वादों को डीम्ड कर निर्धारण माड्यूल में चिन्हित करने की व्यवस्था सूचित की गयी थी एवं वर्ष 2009-10 के मामलों में चिन्हांकन की यह कार्यवाही दिनांक 30-06-2012 तक पूरी करने के निर्देश दिए गये थे जिसे बाद में बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 कर दिया गया था।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन प्रथम/द्वितीय कानपुर द्वारा इस सम्बन्ध में अपने जोन की जो प्रगति सूचित की गयी है उसके अनुसार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009-10 के मामलों में वार्षिक रिटर्नों के जॉच की कार्यवाही विभिन्न कारणों से दिनांक 31-03-2012 के पूर्व सम्पन्न नहीं की जा सकी थी, अत: वार्षिक रिटर्नों की जॉच करके डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने वाले मामलों को चिन्हित करने एवं पुन: उन्हे विभागीय सर्वर पर चिन्हांकित करने हेतु उनके द्वारा अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त सन्दर्भ में विधिक स्थिति यह है कि धारा-27 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई व्यापारी अपना वार्षिक रिटर्न नियमानुसार दाखिल कर देता है तो वह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि के बाद पड़ने वाले अगले कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तिथि को स्वत: कर निर्धारित माना जायेगा। धारा-27 की यह व्यवस्था धारा-28 के प्राविधानो के अधीन है अर्थात यदि कोई व्यापारी धारा-28 के प्राविधानो के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कर निर्धारण हेतु चिन्हित हो जाता है तो उस पर धारा-27 के प्राविधान लागू नही होंगे। तद्नुसार वर्ष 2009-10 के मामलों में यदि कोई वाद दिनांक 31-03-2012 तक धारा-28 के प्राविधानों के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कर निर्धारण हेतु अलग नहीं कर दिया गया है तो वह दिनांक 31-03-2012 को स्वत: कर निर्धारित हो गया है एवं इस तिथि के बाद किसी वाद को वार्षिक रिटर्न की जॉच के फलस्वरुप डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसमें से धारा-28(i)(b)(iv) के अन्तर्गत आने वाले वह मामले महत्वपूर्ण हैं जिनमें कर निर्धारण अधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वादों को लेखा पुस्तकों की विस्तृत जॉच के उपरान्त कर निर्धारण हेतु चिन्हित करना वांछित होता है तथा ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वविवेकानुसार कार्यवाही दिनांक 31-03-2012 के पश्चात नही की जा सकती है।

4- उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि अब डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने के लिए अधिकारियों को वार्षिक रिटर्नों की जॉच करने हेतु अतिरिक्त समय देने का न तो कोई औचित्य है और न ही ऐसा किया जाना विधिक रुप से सम्भव है। इन्ही कारणों से परिपत्र संख्या-297/1213029 दिनांक 03-07-2012 में समस्त चिन्हांकन दिनांक 20-07-2012 तक पूरा कर लेने एवं इसका प्रमाण पत्र दिनांक 22-07-2012 तक मुख्यालय भेजने के निर्देश समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को दिये गये थे। इस सम्बन्ध में किसी जोनल एडीशनल कमिश्नर अथवा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा नियत तिथि तक कोई रिपोर्ट प्रेषित नही की गयी है जिसके लिए अलग से सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है परन्तु पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए निर्धारित समय सीमा अर्थात दिनांक 31-03-2012 के पूर्व जॉच करके चिन्हित किए गये मामलों को डीम्ड कर निर्धारण माड्यूल में चिन्हांकित करने के लिए दिनांक 31-07-2012 तक का अतिरिक्त समय दिया जाता है। साथ ही दिनांक 31-07-2012 तक वार्षिक रिटर्नों की जॉच के अभाव में चिन्हित न हो सके मामलों के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जो दिनांक 31-08-2012 तक प्रत्येक दशा में पूरी की जायेगी :-

(क) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके मामलों में से कुछ मामले ऐसे होंगे जिनके तथ्यों पर आधारित होने के कारण इनमें कर निर्धारण अधिकारी को अपने किसी विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नही होती है। इस प्रकार के मामले धारा-28(a) व धारा-28(i)(b) के क्लाज (i),(ii। (iii), (v) व (vi) के अन्तर्गत आते हैं। इसके अन्तर्गत क्लाज (iv) से आच्छादित वह मामले भी आते हैं जिनमे व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित कर जमा नही किया गया है। ऐसे मामले डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से स्वत: बाहर हो जाने के कारण बाद में इनके सर्वर पर चिन्हांकन में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अत: यदि ऐसे मामले पूर्व में सर्वर पर चिन्हांकित करने से रह गये हैं तो कर निर्धारण अधिकारी इन्हे सर्वर पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हांकित करते हुए ऐसे मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को कारणों सहित उपलब्ध करायेंगे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वर पर किया गया यह चिन्हांकन अन्तिम नही होगा। ऐसे मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपनी login पर जाकर इसका authentication करने पर ही यह चिन्हांकन अन्तिम होगा। इसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त सूची का अपने स्तर से परीक्षण करेंगे एवं अपनी login पर उपलब्ध ऐसे मामलों की सूची में उपयुक्त पाये गये मामलों को tick करेंगे जिसके उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया चिन्हांकन अन्तिम हो जायेगा।

(ख) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके दूसरे प्रकार के मामले ऐसे होंगे जो धारा-28(i)(b) (iv) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्णय लेना है कि व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्न ओवर व कर के ऑकड़े विश्वसनीय हैं अथवा नहीं अथवा रिटर्न में क्लेम की गयी आई0टी0सी0 अथवा कर की गणना सही है या नहीं। ऐसे मामलों में यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31-03-2012 के पूर्व कोई निर्णय नही लिया गया है तो इनमें केवल धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही अथवा धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा सकती है। अत: समस्त कर निर्धारण अधिकारी दिनांक 31-08-2012 के पूर्व समस्त रिटर्नों की जॉच करके प्रकाश में आये तथ्यों का समुचित उल्लेख करते हुए धारा-29 अथवा धारा-56 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु चिन्हित मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रेषित करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे सभी मामलों का गहन परीक्षण करेंगे एवं उनके संतुष्ट होने पर ही धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही की जायेगी। धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त पाये गये मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से समुचित प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं कार्यवाही की जायेगी।

(ग) कुछ अधिकारियों द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने वाले वादों के सर्वर पर चिन्हांकन में त्रुटि हो जाना बताते हुए इसे सही करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त मामलों की सूची व त्रुटि का विवरण कारणों सहित अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को दिनांक 31-07-2012 के पश्चात उपलब्ध करायेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे समस्त मामलों की जॉच करेंगे एवं संतुष्ट होने पर अपनी login पर जाकर त्रुटि को दिनांक 31-08-2012 के पूर्व संशोधित कर देंगे।

(घ) ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) के मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा की जाने वाली उक्त समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर द्वारा की जायेंगी।

5- उक्त व्यवस्था केवल 2009-10 के डीम्ड कर निर्धारण से सम्बन्धित मामलों के लिए बनायी जा रही है तथा आगे के वर्षों के लिए लागू नही होगी। वर्ष 2010-11 के मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। अतः कर निर्धारण अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह इन रिटर्नों से जॉच करते हुए डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से हटाये जाने वाले वादों का सर्वर पर चिन्हांकन नियमित रुप से करते रहें। मुख्यालय स्तर से इस कार्य की नियमित समीक्षा की जाती रहेगी तथा यदि यह पाया जायेगा कि किसी अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोंण अपनाते हुए गम्भीर कार्यवाही की जायेगी।

(हिमॉशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।